

देवीलाल व अन्य बनाम डाउलाल व अन्य

प्र0सं0-: 50/2022(रे0वाद)

निर्णय दिनांक:- 21/12/2025

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी, मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या- 50/2022 रे.वाद

दायर दिनांक - 24/03/2022

निर्णय दिनांक- 21/12/2025

अनवान

1. देवीलाल पुत्र कालु जाति नाई निवासी सांगावास- अ, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
2. मोहनलाल पुत्र कालु जाति नाई निवासी सांगावास- अ, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
3. रोशन पुत्र कालु जाति नाई निवासी सांगावास- अ, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
4. लेरी पुत्री कालु जाति नाई निवासी सांगावास- अ, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

वादीगण

बनाम

1. डाउलाल पुत्र कालु जाति नाई निवासी सांगावास- अ, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
2. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार, देवगढ़ जिला राजसमन्द।

- प्रतिवादीगण

उपस्थित:-

वादी की ओर से- श्री राजेश समदानी, अधिवक्ता।

प्रतिवादी की ओर से -

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् विभाजन का प्रस्तुत किया वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम सांगावास-अ, पटवार हल्का सांगावास, भू-अभिलेख निरीक्षक देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द में खाता संख्या 130 आराजी संख्या 443, 444, 489, 588 कुल किता 04 कुल रकबा 1.4300 हैक्टेयर भूमि स्थित है। एवं खाता संख्या 131 आराजी संख्या 1227/1459 कुल किता 01 कुल रकबा 0.7500 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर वादीगण अधिवक्ता ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादीगण का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	किस्म
1.	देवीलाल पि0 कालुराम हिस्सा 1/3 मोहनलाल पिता कालुराम हिस्सा 1/3	1227/1459/1	0.5625	बारानी



सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द


देवीलाल व अन्य बनाम डाउलाल व अन्य
प्र०सं०-: 50 / 2022(रे०वाद)
निर्णय दिनांक:- 21 / 12 / 2025

	रोशनलाल पिता कालुराम हिस्सा 1/3 जाति नाई सा० देह खातेदार			
	योग	किता-01	0.5625	-
2.	देवीलाल पिता कालुराम हिस्सा 1/4	443 / 1	0.1060	चाही उत्तम
	मोहनलाल पिता कालुराम हिस्सा 1/4	444	0.1500	चाही ।
	रोशन पिता कालुराम हिस्सा 1/4	489 / 1	0.3280	बारानी ।
	लेरी पिता कालुराम हिस्सा 1/4 जाति नाई सा० देह खातेदार	588 / 1	0.5600	बारानी ।
	योग	किता-04	1.1440	-
3	डाऊलाल पिता कालुराम हिस्सा पूर्ण जाति नाई सा० देह	1227 / 1459 / 2	0.1875	बारानी
		588 / 2	0.1400	बारानी ।
		443 / 2	0.0640	चाही उत्तम
		489 / 2	0.0820	बारानी ।
	योग	किता-04	0.4735	-
	सर्वयोग	किता-09	2.1800	

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 21/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर लोक अदालत में सुनाया गया।




 (मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
 सहायक सहायक कलेक्टर
 जिल्हा, जिला राजसमन्व

देवीलाल व अन्य बनाम डाउलाल व अन्य
प्र0सं0-: 50/2022(रे0वाद)
निर्णय दिनांक:- 21/12/2025
अंतिम डिक्री

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द
पीठासीन अधिकारी :- मोहकम सिंह सिनसिनवार आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या :- 50/2022
अनवान

अनवान

1. देवीलाल पुत्र कालु जाति नाई निवासी सांगावास- अ, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
2. मोहनलाल पुत्र कालु जाति नाई निवासी सांगावास- अ, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
3. रोशन पुत्र कालु जाति नाई निवासी सांगावास- अ, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
4. लेरी पुत्री कालु जाति नाई निवासी सांगावास- अ, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।

वादीगण

बनाम

1. डाउलाल पुत्र कालु जाति नाई निवासी सांगावास- अ, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
2. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार, देवगढ़ जिला राजसमन्द ।

— प्रतिवादीगण

उपस्थित:-

वादी की ओर से- श्री राजेश समदानी, अधिवक्ता ।

प्रतिवादी की ओर से -

में इस आशय मे दिनांक 21/12/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम सांगावास-अ, पटवार हल्का सांगावास, भू-अभिलेख निरीक्षक देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द में खाता संख्या 130 आराजी संख्या 443, 444, 489, 588 कुल किता 04 कुल रकबा 1.4300 हैक्टेयर भूमि स्थित है। एवं खाता संख्या 131 आराजी संख्या 1227/1459 कुल किता 01 कुल रकबा 0.7500 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर वादीगण अधिवक्ता ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादीगण का वाद बाबत विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-



ॐ
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

देवीलाल व अन्य बनाम डाउलाल व अन्य

प्र०सं०-: 50/2022(रि०वाद)

निर्णय दिनांक:- 21/12/2025

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	किस्म
1.	देवीलाल पि० कालुराम हिस्सा 1/3 मोहनलाल पिता कालुराम हिस्सा 1/3 रोशनलाल पिता कालुराम हिस्सा 1/3 जाति नाई सा० देह खातेदार	1227 / 1459 / 1	0.5625	बारानी
	योग	किता-01	0.5625	-
2.	देवीलाल पिता कालुराम हिस्सा 1/4 मोहनलाल पिता कालुराम हिस्सा 1/4 रोशन पिता कालुराम हिस्सा 1/4 लेरी पिता कालुराम हिस्सा 1/4 जाति नाई सा० देह खातेदार	443 / 1 444 489 / 1 588 / 1	0.1060 0.1500 0.3280 0.5600	चाही उत्तम चाही। बारानी। बारानी।
	योग	किता-04	1.1440	-
3	डाऊलाल पिता कालुराम हिस्सा पूर्ण जाति नाई सा० देह	1227 / 1459 / 2 588 / 2 443 / 2 489 / 2	0.1875 0.1400 0.0640 0.0820	बारानी बारानी। चाही उत्तम बारानी।
	योग	किता-04	0.4735	-
	सर्वयोग	किता-09	2.1800	

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।



(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
सहायक कलेक्टर देवागढ़
जिला, जिला राजसमन्व